DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email--Kdkbharti08@gmail.com
B.A Part-2 Paper-4 Date-20-08-2020

चीन की न्यायपालिका की विशेषताओं का वर्णन----

साम्यवादी देश होने के नाते चीन की न्यायिक व्यवस्था उदार लोकतांत्रिक देशों की न्यायिक व्यवस्था से मूलतः भिन्न है।यहां यह माना जाता है कि उन्हीं लोगों को न्याय मिलना चाहिए जो राज्य की सत्ता को चुनौती नहीं देते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कठोर दण्ड दिया जाये।इसलिए लोक अदालतें स्थापित की गई है, जिनके चार स्तर हैं-शिखर पर सर्वोच्च लोक न्यायालय है, उसके नीचें उच्च, मध्यम व निम्न स्तर की लोक अदालतें हैं।सर्वोच्च लोक न्यायालय सभी लोक अदालतों पर अपना नियंत्रण रखता है और यह देखता है कि क्या सभी न्यायालय देश की विधिक व्यवस्था को लागू कर रहे हैं।यह निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपीलों को सुनता है, किन्तु इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त नहीं है अर्थात यह सरकार के किसी कानून या आदेश की संवैधानिक वैधता का परीक्षण नहीं कर सकता।इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा कुछ सदस्यगण हैं जिन्हें राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस *(*उसकी अनुपस्थिति में उसकी स्थायी समिति*)* पांच वर्षों के लिए चुनती है।इसका कार्याकाल कांग्रेस के कार्यकाल से जुड़ा है।संविधान में न्यायालय के सदस्यों की संख्या के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, अतः यह कानून द्वारा निश्चित की जाती है।इसके तीन विभाग हैं-दीवानी, फौजदारी तथा अन्य।

चीन न्यायिक व्यवस्था का यह विचित्र लक्षण भी है कि यहां लोक अभियोजकालय को न्यायालय से जोड़ दिया गया है।सारे देश में लोक अभियोजकों के कार्यालय स्थापित किया गया है जो मुकदमों से सम्बन्धित जांच पड़ताल करते हैं तथा न्यायालय में किसी पकडे गये व्यक्ति के खिलाफ आरोपण करते हैं।अभियोजकालयों का नीचे से ऊपर तक जाल बिछा हुआ है।शिखर पर सर्वोच्च लोक अभियोजक है जिसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस पांच वर्षों के लिए चुनती है।कोई व्यक्ति इस पद को दो से अधिक बार ग्रहण नहीं कर सकता है।वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है।वह अपने नीचे सारे लोक अभियोजकों व उनके कार्यालयों पर अपना नियंत्रण रखता है।

यह एक तथ्य है कि चीन एक साम्यवादी देश है, इसलिए वहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थान नहीं है जैसा हम अन्य लोकतांत्रिक देशों में देखते हैं।संविधान औपचारिक तरीकें से न्यायिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करता है किन्तु वह मात्र छलवा है।अदालतें तथा अभियोजकों के कार्यालय कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर नियन्नाधीन हैं।सभी जजों और अभियोजकों की नियुक्ति दल के नेताओं की इच्छानुसार होती हैं इसलिए कानूनी व्यवस्था को दल के हितानुसार तोड़ा मोड़ा जा सकता है। *1989* के टियानमैन हत्याकांड के बाद लोगों को मनमाने ढंग से पकड़ा व पीटा गया तथा राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए गुप्त तरीक़े से मुकदमा की सुनवाई की गई।जिन जजों या अभियोजकों ने पकड़े लोगों या लोकतंत्र के पक्ष में अभियान के प्रति नरम रूख अपनाया, उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया।संक्षेप में, ऐसी न्यायिक व्यवस्था के पीछे मूल उद्देश्य उसे दल के शासन का यन्त्र बनाकर रखना है।इससे विदित होता है कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओ का शासन हैं, कानून का शासन नहीं।

आगे, धन्यवाद।

2020-08-20
From vivo Notes

Scanned with CamScanner